भा. कृ. अनु. प. – केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान
ICAR - Central Sheep and Wool Research Institute
Avikanagar, Malpura, Rajasthan - 304501
Tel. Nos. +91-1437-220162 / 220 164 FAX: +91-1437-220163
Email: director.cswri@icar.gov.in, cao.cswri@icar.gov.in Web site: www.cswri.res.in

क्रमांक 6(183)एसपी/2008/Vol.II/ दिनांक **11-01-2024**

निमित्त,

M/s Labbek Conslruction,
Bhil Basti Sarwar,
Dist.Ajmer Rajasthan
Mobile No.9928192044,9784599339
Email ID : mohmmadhussain01@gmail.com

विषय : संस्थान में नकारा /अतिरिक्त जानवरों को उठाने से संबंधित अनुबंध सम्पन्न् कराने बाबत ।

संदर्भ :- बिड आईडी क्रमांक 2917884 दिनांक 20.11.2023 के क्रम में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में आपको सूचित किया जाता है कि संस्थान के नकारा/अतिरिक्त जानवरों (भेड, मेंढा, बकरा, बकरियों) को उठाने, निष्पादन का कार्य अनुबंध के लिए आप द्वारा प्रस्तुत संदर्भित निविदा/बीड एवं नेगोशियेशन में दी गई उच्चतम दरों को निदेशक महोदय ने निम्न नियम एवं शर्तों पर स्वीकृति प्रदान कर दी है। अनुबंध दरों का पूर्ण विवरण निम्न अनुसार है :–

क्र.सं.	मद का नाम	दर नकारा/अतिरिक्त जीवित जानवर प्रति किलोग्राम(रूपयों में)
1.	बकरा (स्वस्थ जानवर)	235.00
2.	बकरी (स्वस्थ जानवर)	140.00
3.	बकरा,बकरी (कमजोर जानवर)	90.00
4.	मेंढा (स्वस्थ जानवर)	185.00
5.	भेड (स्वस्थ जानवर)	140.00
6.	भेड, मेंढा (कमजोर जानवर)	90.00

<u>कटौतियां:–</u>

1. स्वास्थ्य विभाग, पशुपोषण विभाग,शरीर क्रिया विभाग से ऑनलाईन भुगतान करके उठाने नकारा /अतिरिक्त जानवरों (भेडं मेढां,बकरा,बकरी) संस्थान से समय समय पर सप्ताह में एक दिन शुक्रवार को अधिकारी / प्रभारी ,भेड बकरी सेक्टर पशुधन फार्म अनुभाग ,एव पशु होगें। आवश्यकता पडने पर दूरभाष/मोबाइल पर कभी भी इस कार्य के लिये बुलाया जा सकता है। नकारा /अतिरिक्त जानवरों (भेडं मेढां,बकरा,बकरी) के लिय दूरभाष/मोबाइल पर सूचित करने के उपरान्त समय पर नही उठाये जाने पर जानवरों की मुत्यु हो जाने पर उक्त जानवर की बुक वेल्यू ठेकेदार से नकद वसूल की जावेगी।
2. ठेकेदार/प्रतिनिधि द्वारा कार्य में किसी भी प्रकार में शिथिलता/गैर जिम्मेदारी/अवज्ञा की गई तो ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बिल मे से राशि की कटौती की जावेगी साथ ही अनुबन्ध को निरस्त करते हुये अमानत/जमानत राशि जब्त करली जावेगी।
3. ठेकेदार/प्रतिनिधि द्वारा अनुबन्ध की अवधि में संस्थान में किसी प्रकार की चौरी/क्षति पहुँचाई जाती है तो उसकी वसूली स्वयं ठेकेदार को नकद करनी होगी अन्यथा अनुबन्ध निरस्त कर अमानत व जमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।इस सम्बंघ में संस्थान के निदेशक महोदय का निर्णय ही अन्तिम होगा एवं ठेकेदार को मान्य होगा।
4. कार्य निर्देशानसुार समय पर पूर्ण नही होने की दशा में ठेकेदार की जमा जमानत राशि को जब्त करते हुए अनुबंध को निरस्त कर दिया जायेगा ,जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी ।
5. ठेकेदर एवं उसके प्रतिनिधि को संस्थान के अधिकारी/कर्मचारियो के साथ शिष्टता का व्यवहार रखना होगा अन्यथा ठेका समयावधि से पूर्व भी समाप्त/निरस्त किया जा सकता है।

<u>अनुबन्ध की सामान्य नियम व शर्तें:–</u>

6. अनुबन्ध की अवधि दिनांक 11.01.2024 से 10.01.2025 तक एक वर्ष के लिए होगी, जिसे संतोषप्रद कार्य होने पर सक्षम अधिकारी चाहे तो कम या अनुबन्धकर्ता की आपसी सहमति से वर्तमान दर व नियम शर्तो पर एक वर्ष या अधिक तक बढ़ाया जा सकता है।
7. अनुबन्ध कार्य में लगने वाले श्रमिको की आयु 18 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए। वे पूर्णरूपेण स्वस्थ होने चाहिये ।

..........2/–

8. सफल ठेकेदार स्वंय की देखरेख में अनुबन्ध का कार्य करने के लिये कार्य आदेश प्राप्त करने से पूर्व लिखित में वचन (under taking) देना होगा की वे स्वंय रोजाना **अध्यक्ष**, **ए.जी.बी.** से सम्पर्क करेगें तथा अनुबन्ध का कार्य **अध्यक्ष** के दिशा–निर्देशानुसार सुचारू–रूप से करते रहेगें ऐसा नहीं होने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है साथ ही उनके द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत/जमानत राशि को भी जब्त किया जा सकता हैं।
9. अनुबन्ध की अवधि के दौरान ठेकेदार एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा संस्थान के कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ शिष्टता का व्यवहार करना होगा।
10. श्रमिकों के बारे में निर्धारित रजिस्टर/मस्टरोल आदि का रख–रखाव स्वयं ठेकेदार को करना होगा तथा लगाये गये श्रमिकों का EPF/ESIइत्यादि यदि नियमानुसार देय होता है तो ठेकेदार द्वारा स्वयं के देय बिल राशि से देना होगा। संस्थान द्वारा इस विषय में कोई भी अलग से भुगतान का दावा स्वीकार नही करेगा। इस प्रकार का निस्तारण ठेकेदार स्वयं अपने स्तर पर करेगा।
11. ठेकेदार को अनुबन्घ की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय–2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा।
12. ठेकेदार द्वारा जिन प्रतिनिधियों को अनुबन्ध कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा उनका परिचय–पत्र ठेकेदार द्वारा स्वयं बनाकर फोटो युक्त परिचय–पत्र अधिकृत अधिकारी (सुरक्षा अनुभाग) से जारी करवाकर **ए.जी.बी.** में प्रस्तुत करना होगा। परिचय–पत्र का व्यय स्वयं ठेकेदार को वहन करना होगा। प्रतिनिधियों को फोटो (पहचान–पत्र) आवश्यक होगा। साथ ही प्रतिनिधियों का नाम, पता व मोबाईल नम्बर इत्यादि प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।
13. अनुबन्ध कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर ठेकेदार/उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होगें तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता/क्षतिपूर्ति राशि नही दी जावेगी। अतः अनुबन्धकर्ता अनुबन्ध मिलने के साथ ही उसके अधीन कार्य करने वाले सभी कार्मिकों का बीमा अवश्यक करवा लें।
14. आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि अनुबन्ध कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के उपरान्त 2 माह बाद वापिस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान आपका कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाया गया तो आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त कर लिया जावेगा।
15. श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख ठेकेदार को तैयार कराना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा माँगने पर प्रस्तुत करना होगा।
16. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार अविकानगर, मालपुरा होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदेशक, केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान को होगा। जिसे ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा मान्य होगा।
17. यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति (जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर) के लिये ही माना जावेगा। ठेके की अवधि व उसके उपरान्त ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि का जॉब कान्ट्रेक्ट कार्य के अतिरिक्त संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।
18. इस अनुबंध में G.F.R.,2017 (Mannual for Procurement of Goods and Services)में उपलब्ध नियम एवं भारत सरकार के इस अनुबंध से संबंधित नियम भी लागू होगें ।
19. संस्थान कें सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बतायें किसी भी समय जारी अनुबन्ध आदेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

Digitally Signed by Sanjay Sharma
Date: 11-01-2024 16:25:00
Reason: Approved

(संजय शर्मा)
सहायक प्रशासनिक अधिकारी(क्रय)

वितरणः–

1. प्रशासन अनुभाग तृतीय
2. लेखा एवं अंकेक्षण अनुभाग
3. विभागाध्यक्ष पशु अनुवांशिक एवं प्रजनन विभाग
4. प्रभागाध्यक्ष, पशु पोषण विभाग
5. प्रभारी, पशु शरीर क्रिया विभाग
6. प्रभारी ,पशु स्वास्थ्य विभाग
7. प्रभारी, सुरक्षा अनुभाग को सूचनार्थ
8. प्रभारी, ए0के0एम0यू0
9. सतकर्ता अधिकारी
10. निदेशक महोदय